JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) –U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office: New Power House, Jodhpur-342003
Phone No: 0291-2742232 : Fax No: 0291-5106031
E-mail: caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

No.: JdVVNL /CAO. (B&R)/ F. / D. 1836 Date. 17/10/17

परिपत्र

विषयः– 24 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2017–18 की अवधि के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना।

.....

निगम ने इस वर्ष भी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के परिलाभ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि), द्वितीय मंजिल डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर द्वारा अपने समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रयोज्य शर्तों एवं निबन्धनों, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं, पर दिये जाने की व्यवस्था की है। अतः समस्त कार्यालयध्यक्षों/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सभी कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2017 के वेतन विपत्र (अक्टूबर, 2017 में संदेय) से प्रीमीयम के प्रति 295.00 रूपये (दो सौ पंचानवे मात्र) प्रति अधिकारी/कर्मचारी की दर से कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। सभी वृत लेखाधिकारी/नोडल अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से उपरोक्तानुसार काटी गयी राशि रू. 295/– एवं निगम का अंशदान रू. 413/– कुल राशि रू. 708/– (रू. सात सौ आठ मात्र) (रू. 600 प्रीमियम राशि एवं रू. 108 GST) ई–ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को बजट मद 8011–00–105–02–01 में संलग्न परिशिष्ट ''1'' में वर्णित जिले के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को संलग्न परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' सहित 22 अक्टूबर, 2017 तक निश्चित रूप से प्रेषित करेगें। परिशिष्ट– ''ख'' के अभाव में बीमा विभाग द्वारा दावों के निपटारे में विलम्ब किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबधित कार्यालयध्यक्ष/नोडल अधिकारी/वृत लेखाधिकारी की स्वंय की होगी। राज्य बीमा विभाग द्वारा अग्रिम प्रीमियम प्राप्त होने पर ही निर्धारित दिनांक से पॉलिसी का नवीनीकरण किया जाता है। अन्यथा प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन की जाती है। अतः निर्धारित दिनांक से पूर्व ई–ग्रास के माध्यम से प्रीमियम मय GST राज्य बीमा विभाग के बजट मद में जमा कराते हुए चालान की प्रति के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रक्रिया तथा शर्तें एवं निबन्धनः–

1. नियंत्रण अधिकारी द्वारा बीमित कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु एवं दुर्घटना से क्षति की सम्पूर्ण युक्त सूचना परिशिष्ट ''1'' में वर्णित जिले के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अविलम्ब घटना घटित होने की तिथी से एवं कलेन्डर माह की अवधि के अन्दर भेजी जायेगी।
2. प्रीमियम की दर वार्षिक है, अतः वर्ष में केवल एक बार ही प्रीमियम राशि की कटौती की जानी है। योजना के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर अधिकतम दो लाख का बीमाधान होगा।
3. योजना के लाभ प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को योजना के अन्तर्गत उल्लेखित क्षतियों के, पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होगें।
4. समूह, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम की प्रत्येक कटौती पर एक वर्ष (12 कलेन्डर माह) हेतु प्रभावी रहेगी एवं पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक पॉलिसी के लाभ देय होगें।
5. यह योजना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर तथा निगम में पुनः नियुक्ति/संविदा पर लगे कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
6. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाओं में निगम कर्मचारियों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमाधान भुगतान किये जाने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए, उदाहरणार्थ समूह सन्दर्भित दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई क्षति पर देय होगें :–
   1. वाहन दुर्घटना से होने वाली क्षति।
   2. सीढ़ियों से गिरकर लगने वाली चोट की क्षति।
   3. किसी जहरीले जन्तु के काट लेने से होने वाली क्षति।
   4. मकान के ढहने से होने वाली क्षति।

5. साम्प्रदायिक हिंसा से होने वाली क्षति।
6. बिजली के झटके से होने वाली क्षति।
7. विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली क्षति।
8. जलने से होने वाली क्षति की दशा में।
9. किसी निगम कर्मचारी की हत्या हो जाने अथवा हत्या के प्रयास में होने वाली शारीरिक क्षति की दशा में।

7. स्पष्टतः योजना के अन्तर्गत केवल उन्ही प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। आशय यह है कि योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक कारणों से होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा, उदाहरणार्थ निम्न स्थितियों में मृत्यु/क्षतियों के प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण लाभ देय नहीं होगें :–
   1. हृदयगति रूक जाने से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां।
   2. विभिन्न बीमारियों जैसेः कैंसर, टी.बी इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा क्षतियां।
   3. विभिन्न दुर्घटनाओं में क्षतियों के अन्तर्गत हाथ की क्षति, पैर की क्षति अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों के सम्बन्ध में दिए गये विवरण के अनुरूप क्षति होने पर ही लाभ देय होगा। आशय यह है कि उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त प्रकार की क्षति यथा–हाथ पैर का फैक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगें।

8. पॉलिसी के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली क्षतियों पर भी पॉलिसी के लाभ देय नहीं होगें :–
   1. आत्म क्षति, आत्म हत्या, या आत्म हत्या का प्रयास, पागलपन अथवा किसी निगम कर्मचारी द्वारा नशीले द्रव्य के प्रयोग से होने वाली क्षति।
   2. चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाली क्षति।
   3. नाभिकीय विकीरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से हाने वाली क्षति।
   4. युद्ध, विदेशी आक्रमण, शत्रु कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हाने वाली क्षति।
   5. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति।
   6. बिमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्धदेश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति।

बीमा पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान पॉलिसी के अन्तर्गत बिमित के सम्बन्ध में एक से अधिक दावों के मामलों में भुगतान बिमित को इस पॉलिसी के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान रूपये दो लाख से अधिक नहीं होगा, उदाहरणार्थ उपरोक्त बीमा पॉलिसी की किसी अवधि के दौरान यदि किसी निगम के कर्मचारी को पहले, आगे वर्णित उपबन्ध 10(3) के अन्तर्गत एक आँख अथवा अन्य अंग की क्षति पर एक लाख रूपये का भुगतान किया जाता है तो पॉलिसी की उसी अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु प्रस्तावित राशि में से उपरोक्त कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जायेगा।

9. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत
   1. हाथ की क्षति से आशय
      हाथ की कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य एवं
   2. पैर की क्षति से आशयः
   3. पैर की एडी अथवा ऊपर से पार्थक्य

10. योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षतियों पर देय बीमाधन के लाभ निम्न प्रकार देय होगें :–

क्रम सं.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	दुर्घटना पर देय लाभ/बीमाधन
1.	दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर	2 लाख
2.	दुर्घटना में दोनो हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर	2 लाख
3.	दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर	1 लाख
4.	उपरोक्त क्षतियों के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत व्यक्ति के 100% स्थाई विकलांग होने तथा सेवायोजन अथवा किसी भी प्रकार की निगम सेवा के लिये सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में	2 लाख
5.	आंशिक क्षतियों की दशा मेंः अ. श्रवण शक्ति की क्षतियों की दशा में 1. श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति (दोनों कानों की क्षति) 2. श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की पूर्ण क्षति)	 1 लाख 30 हजार